डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुख्यालय–टोंक

उनवान

भूरा खां पुत्र आशकअली जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/1 अब्दुल करीम पुत्र भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/2 अब्दुल रहीम पुत्र भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/3 अब्दुल अजीज पुत्र भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/4 मोबिना पुत्री भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक 1/5
1/5 शबाना पुत्री भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/6 हसीना पुत्री भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक
1/7 सुल्ताना पुत्री भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक 1/8
1/8 वहीदन बी पत्नि भूराखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुनेला हाजीपुरा तहसील व जिला टोंक

वादीगण–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक।
2. तहसीलदार, टोंक
3. बडोदा राज0 ग्रामीण बेंक शाखा बमोर

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

मुकदमा नम्बर– 50/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसाल कतई रूबरू डॉ0 सूरज सिंह नेगी आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर मुख्यालय टोंक व हाजरी वादीगण एंव मिनजामिन मुददई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वादीगण की खातेदारी भूमि कुल रकबा 3 बीघा होने से खसरा नम्बर 13/2 रकबा 1 बीघा एंव खसरा नम्बर 13/3 रकबा 2 बीघा वादी की खातेदारी में अंकित किया जावे तथा चरागाह भूमि कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 13/4 अंकित किये जावे। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती कर पालना करें।

निजी ..... मुकलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगेराह .... फीसदी सालाना आज तारिख वसूलियत तक अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक **15 मई, 2017** को जारी की गई।

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर टोंक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर			फीस कमिशनर		
बाबत ईजराय हुकमनामा			बाबत ईजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(डॉ0 सूरज सिंह नेगी)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner